संख्या-14/2021/335/35-3-2021-19(01)/2019

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-श्रावस्ती में प्रतीक्षा कक्ष शौचालय सहित निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किश्री राज्यपाल महोदय बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गतवर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-श्रावस्ती में प्रतीक्षा कक्ष शौचालय सहित निर्माण से सम्बन्धित परियोजना हेतु रू. 12.67 लाख (रू. बारह लाख सड़सठ हजार) मात्र की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमश: रू. 7.60 लाख एवं रू. 5.07 लाख अर्थात कुलरू. 1**2.67** लाख की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं०	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	पीसी एवं .एस.एल.एस/.डी.ए.एफ. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत विक वास्त/नियमानुसार.टी.एस.जी) (य के आधार पर देय होगीव्य	स्वीकृत धनराशि में शकेन्द्रां) 60 प्रतिशत (	स्वीकृत धनराशि में 40 शराज्यां) (प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	कार्यदायी संस्था ग्रामीण-अभियंत्रण विभाग				
1	**सिरसिया**	कस्तूरबा गांधी बालिका विदयालय सिरसिया में प्रतीक्षा कक्ष शौचालय) का निर्माण (सहित	12.67	7.60	5.07
		योग	**12.67**	**7.60**	**5.07**

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपर्युक्त तालिका में कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा। **स्वीकृत धनराशि में ही परियोजना को पूर्ण किया जायेगा।**

2- पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परामर्श दिया गया है कि जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी। अत: जी0एस0टी0 की धनराशि उपरोक्त तालिका के इंगित कार्यों में सम्मिलित नही है। अत: जी0एस0टी0 की धनराशि जनपदों द्वारा वास्तविक व्यय सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने पर देय होगी।

3- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा सुसंगत आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिये कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। पूर्ण किये गये कार्यों का नियोजन विभाग द्वारा नामित थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। उक्त निरीक्षणकर्ता टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7- कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

8- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण करने के बाद वीडियोग्राफी एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल लिंक जिसे सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के मोबाइल पर शेयर किया गया है, पर जियोटैगिंग कराई जायेगी।

9- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा सृजित परिसंपत्तियों को सम्बन्धित को हस्तांतरित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम् दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की **भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।** इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनिवार्यत: कराया जायेगा। **वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।**

11- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारी की जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12- व्यय/अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

13- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

14- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

15- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

<u>वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने हेतु वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी मुख्य शर्तें निम्नवत है:-</u>

(1)प्रश्नगतकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन करते हुये स्वीकृति आलेख्य में समावेश किया जायेगा।

(4) प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

(6) प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य-योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

(11) प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल,2020, दिनांक 18 मई, 2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 एवं दिनांक 29 सितम्बर, 2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) प्र0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश दिनांक 15 जून, 2018 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रशा0 विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या -40-में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-201-बेसिक शिक्षा-03-विदयालय का भवन/विस्तार/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-(केन्द्रांश-60+राज्यांश-40प्रतिशत के सापेक्ष)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-22(1)/दस-2021 दिनांक 19 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2021/335(1)/ 35-3-2021-19(01)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
5- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
10-उप निदेशक,ल।देवीपाटन मण्ड (अर्थ एवं संख्या)
11-अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।
12-राज्य योजना आयोग अनुभाग।-
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।